

(ड) क्रम संख्या 67 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को विलोपित कर दिया जाएगा;

(च) क्रम संख्या 74 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
"74क	शीर्षक 9993	भारतीय पुर्नवास परिषद अधिनियम, 1992 (1992 का 34) के अंतर्गत मान्यता प्राप्त व्यावसायिकों के द्वारा चिकित्सा संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या अन्य निकायों, जो कि आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 12कक के अंतर्गत पंजीकृत हों, द्वारा स्थापित पुर्नवास केन्द्रों में पुर्नवास, थैरैपी या काउंसलिंग और ऐसी ही अन्य क्रियाओं, जो कि आरसीआई एक्ट, 1992 के अंतर्गत आती हैं, के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं।	कुछ नहीं	कुछ नहीं";

(छ) पैराग्राफ 2 में उपवाक्य (यक), के पश्चात निम्नलिखित को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

"(यकक) "वित्तीय संस्थान" का वही अभिप्राय होगा जो कि इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 (1934 का 2) की धारा 45झ की उपवाक्य (ग) में दिया गया हो";

2. यह अधिसूचना 01 जनवरी, 2019 से लागू होगी।

[फा. सं. 354/428/2018-टीआरयू]

गुंजन कुमार वर्मा, अवर सचिव

**नोट :** प्रधान अधिसूचना संख्या 12/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि 703(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना संख्या 23/2018-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 20 सितम्बर, 2018 जिसे सा.का.नि 908 (अ.) दिनांक 20 सितम्बर, 2018 के तहत प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st December, 2018

### No. 28/2018-Union Territory Tax (Rate)

**G.S.R. 1280(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 8 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Central Government, on being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India, in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.12/2017- Union Territory Tax (Rate), dated the 28th June, 2017, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28th June, 2017, namely:-

In the said notification, -

(i) in the Table, -

(a) after serial number 21A and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“21B	Heading 9965 or Heading 9967	Services provided by a goods transport agency, by way of transport of goods in a goods carriage, to, - (a) a Department or Establishment of the Central Government or State Government or Union territory; or (b) local authority; or (c) Governmental agencies, which has taken registration under the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017) only for the purpose of deducting tax under Section 51 and not for making a taxable supply of goods or services.	Nil	Nil”;

(b) after serial number 27 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“27A	Heading 9971	Services provided by a banking company to Basic Saving Bank Deposit (BSBD) account holders under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana (PMJDY).	Nil	Nil”;

(c) against serial number 34A, in the entry in column (3), after the letters and words “PSUs from the”, the words “banking companies and” shall be inserted;

(d) against serial number 66, for the entry in column (2), the following entry shall be substituted namely: -

“Heading 9992 or Heading 9963”;

(e) serial number 67 and the entries relating thereto, shall be omitted;

(f) after serial number 74 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely: -

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
“74A	Heading 9993	Services provided by rehabilitation professionals recognised under the Rehabilitation Council of India Act, 1992 (34 of 1992) by way of rehabilitation, therapy or counselling and such other activity as covered by the said Act at medical establishments, educational institutions, rehabilitation centers established by Central Government, State Government or Union territory or an entity registered under section 12AA of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961).	Nil	Nil”;

(ii) in paragraph 2, after clause (za), the following clause shall be inserted, namely: -

“(zaa) “financial institution” has the same meaning as assigned to it in clause (c) of section 45-I of the Reserve Bank of India Act, 1934 (2 of 1934).”;

2. This notification shall come into force on the 1<sup>st</sup> day of January, 2019.

[F. No.354/428/2018 -TRU]

GUNJAN KUMAR VERMA, Under Secy.

**Note :** The principal notification No. 12/2017 - Union Territory Tax (Rate), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R. 703 (E), dated the 28<sup>th</sup> June, 2017 and was last amended by notification No.23/2018 - Union Territory Tax (Rate), dated the 20<sup>th</sup> September, 2018 vide number G.S.R. 908 (E), dated the 20<sup>th</sup> September, 2018.

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 दिसम्बर, 2018

**सं. 29/2018-संघ राज्य कर (दर)**

**सा.का.नि. 1281(अ).**—संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उप धारा (3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना संख्या 13/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 जिसे सा.का.नि. 704 (अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(i) सारणी में,-

(क) क्रम संख्या 1 के समक्ष, कॉलम (2), मद (छ) के पश्चात निम्नलिखित परन्तुक को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा:-

“बशर्ते कि इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात ऐसे किसी माल परिवहन एजेंसी के द्वारा, सड़क मार्ग से गुड्स कैरिज में माल के परिवहन के रूप में -

(क) केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के विभाग या प्रतिष्ठान; या

(ख) स्थानीय प्राधिकरण; या

(ग) सरकारी एजेंसियों,

जिन्होंने केवल धारा 51 के अंतर्गत कर में कटौती किए जाने के लिए माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) में पंजीकरण कराया हो और न कि माल या सेवाओं की कर वाली आपूर्ति करने के लिए, को प्रदान की जाने वाली सेवाओं पर लागू नहीं होगी,” ;

(ख) क्रम संख्या 11 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियों को अंतःस्थापित किया जाएगा, यथा: -

(1)	(2)	(3)	(4)
12	बिजनेस फैसिलिटेटर (बीएफ) के द्वारा बैंकिंग कंपनी को दी जाने वाली सेवाएं	बिजनेस फैसिलिटेटर(बीएफ)	कोई भी कंपनी जो कर वाले भू-क्षेत्र में अवस्थित हो
13	किसी बिजनेस कोरेसपॉण्डेंट (बीसी) के किसी एजेंट के द्वारा बिजनेस कोरेसपॉण्डेंट (बीसी) को दी जाने वाली	बिजनेस कोरेसपॉण्डेंट (बीसी) का एजेंट	ऐसा बिजनेस कोरेसपॉण्डेंट (बीसी) जो